न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।
एस0सी0 सं0 154/2022

राज्य बनाम नीटू आदि

मु0अ0सं0 167/2020
अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम एवं
धारा 272, 273 भा0दं0सं0
थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण नीटू तथा विकास को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ।

प्रथम– यह कि दिनांक 28.04.2020 को समय 23:20 बजे स्थान बहद ग्राम ढाकादेई थाना क्षेत्र नानौता जनपद सहारनपुर में पुलिस को आप लोगों से एक प्लास्टिक की केन में करीब 40 लीटर शराब खाम, 06 लीटर शराब रैक्टीफाईड, 03 किलोग्राम यूरिया, पास में पडी एक थाल में 200 लीटर लगभग साडा तथा कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो उत्तर प्रदेश उत्पाद–शुल्क/आबकारी अधिनियम की धारा 60(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने मिलकर विक्रय के लिए आशयित अवैध कच्ची शराब में यूरिया की मिलावट कर अपायकर बनाया जो स्वास्थ्य के लिऐ हानिकारक पेय पदार्थ है। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 धारा 272 के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने मिलकर अवैध कच्ची शराब में यूरिया की मिलावट कर उसे अपायकर बनाया तथा यह जानते हुए कि यह शराब अपायकर है उसे विक्रय हेतु अपने पास रखे थे। इस प्रकार आपने यह ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 धारा 273 के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये ।

दिनांकः 23.01.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांकः 23.01.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।